**ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता**

*156. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने के पीछे सरकार का क्या उद्देशय था और इस समय कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी हैं;

(ख) ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ की, जो पिछले तीन वर्ष से निरन्तर आन्दोलन कर रहा है, मांगें क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (प्रो० शकीलुर रहमान) :** (क) ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड समुदाय द्वारा चुने गए स्वयंसेवक होते हैं और उनका अपना-अपना व्यवसाय होता है । उन्हें नाममात्र का मानदेय भी दिया जाता है । ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड को नियुक्त करने का उद्देश्य स्वैच्छिक आधार पर ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने, छोटी-मोटी बीमारियों का उपचार करने तथा रोग निवारक और स्वास्थ्यवर्धक परिचर्या उपलब्ध करने के लिए समुदाय द्वारा चुने गए स्थानीय व्यक्ति को प्रशिक्षित करना है । इस समय 3,26,760 ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड कार्य कर रहे हैं ।

(ख) उनकी मुख्य मांगें मानदेय को बढाना, औषध किटों की सप्लाई और उनकी सेवाओं को नियमित करना है ।

(ग) चूंकि ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड स्वंसेवी कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनकी सेवाओं को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता । वित्तीय कठिनाई की वजह से उनके मानदेय को बढाना और औषध किटों की सप्लाई करना संभव नहीं हो सकता है ।

**Payment of Royalty on Crude Oil**

*157. SHRI V. GOPALSAMY;
SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) the amount of royalty on the production of crude oil paid by the Central Government during the last three years to each State, State-wise and rate-wise; and

(b) what is the formula adopted by the Central Government in sharing with the States revenue accruing from the sale of crude oil?

THE MINISTER FOR PETROLEUM AND CHEMICALS AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): (a) A statement is laid on the table of the Sabha. (See below)

(b) The formula for payment of royalty is in accordance with the provisions of the Oilfields (Regulations & Development) Act, 1948 and the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959. Royalty is fixed in accordance with Section 6A of the Act and since the mining lease for land vested with a State Government is granted by that State Government, in accordance with Rule 5 and 14 of the Rules mentioned above royalty on crude produced from such area is payable to the concerned State Government. Since the mining lease in respect of land or mineral underlying ocaen is granted by the Central Government, royalty in respect of crude oil produced from such areas is payable to the Central Government.